परिशिष्ट - अ"

[26/7/2019]

प्रश्न सं. [क्र. 2249]

मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय

—:आदेश:—

भोपाल दिनांक 24/03/2017

691

कमांक—एफ—12—01/2017/25—2, राज्य शासन एतद् द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग वर्ष 2017—18 से प्रारम्भ किये जाने वाले नवीन छात्रावासों की स्थापना के लिए निम्नांकित नीति/मापदण्ड निर्धारित करता है :—

नवीन छात्रावासों की स्थापना हेतु नीति/मापदण्ड

1. छात्रावास तीन श्रेणी के होंगे— जूनियर (कक्षा 6 से 8), सीनियर (कक्षा 9 से 12) एवं महाविद्यालयीन छात्रावास जिला मुख्यालय पर ही खोले जाऐंगे। उन परिस्थितियों में जहाँ किसी तहसील में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर राज्य की साक्षरता दर के अनुपात में अत्यन्त कम हो तथा जहाँ पूर्व से विभाग के छात्रावास संचालित नहीं हों, केवल उस दशा में तहसील/विकास खण्ड मुख्यालय पर भी छात्रावास खोलने की विशेष अनुमति देने पर विचार किया जा सकेगा। परन्तु महाविद्यालयीन छात्रावास केवल जिला मुख्यालय स्तर पर ही खोले जायेंगे।
2. जूनियर छात्रावास अब नहीं खोले जाऐंगे। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत अब मिडिल स्कूल प्रत्येक 3 कि.मी. में खुलने से जूनियर छात्रावासों की आवश्यकता अब समाप्त हो चुकी है।
3. नवीन छात्रावास प्रारम्भ करने के लिए राज्य स्तर पर जिले का चयन करने के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया होगी :—

3.1 प्रत्येक जिले में कक्षा 06 से कक्षा 12 तक विद्यालयों में एवं महाविद्यालयीन कक्षाओं में दर्ज अनुसूचित जनजाति के छात्र—छात्राओं की संख्या एवं छात्रावासों में रहने वाले छात्र और छात्राओं की सीट संख्या का अनुपात निकाला जावेगा।

3.2 प्रत्येक जिले में कक्षा 06 से कक्षा 12 तक विद्यालयों में एवं महाविद्यालयीन कक्षाओं में दर्ज अनुसूचित जनजाति के छात्र—छात्राओं की संख्या Gross Enrollment (GE) और जिले में संचालित जूनियर/सीनियर छात्रावासों की संख्या No. of Hostels (NH) का अनुपात निकाला जावेगा।

3.3 विद्यार्थियों की सकल दर्ज संख्या Gross Enrollment (GE) तथा छात्रावासों में प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या No. of Hostellers (NHR) के आधार पर जिलेवार छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग सीनियर एवं महाविद्यालयीन Hostel Opening Priority Evidence (HOPE) तैयार किया जायेगा। इस प्रकार कुल 4 (HOPE) होंगे। जिसके आधार पर जिले का बालक या बालिका सीनियर या कॉलेज छात्रावास प्रारम्भ करने का निर्णय लिया जायेगा।

3.4 इसी प्रकार प्रत्येक स्तर का HOPE सूचकांक भी तैयार किया जावेगा।

3.5 प्रदेश के सभी जिलों की प्राथमिकता सूची बढ़ते HOPE के क्रम में होगी तथा छात्रावास खोलने की प्राथमिकता इसी क्रम में निर्धारित होगी। जिस जिले में HOPE का मान सबसे कम होगा, उस जिले को पहली प्राथमिकता होगी।

3.6 किन्तु चयनित जिले में यदि विद्यार्थियों की सकल दर्ज संख्या तथा छात्रावासों में प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या का मान छात्रों की तुलना में छात्राओं का कम है तो पहली प्राथमिकता बालिका छात्रावास खोलने के लिये होगी।

3.7 किसी भी दशा में उन जिलों में नये छात्रावास नहीं खोले जायेंगे जिनमें HOPE सूचकांक प्रदेश के सूचकांक से अधिक है।

4. नवीन छात्रावास पूर्व से संचालित छात्रावास से कम से कम 08 कि.मी. की दूरी पर स्थित होने चाहिए एवं कम से कम 50 विद्यार्थियों की उपलब्धता होना चाहिये।

5. भविष्य में छात्रावास 50 या 100 सीट क्षमता के होंगे। किसी भी दशा में 50 सीट से कम क्षमता के छात्रावास नहीं खोले जायेंगे। प्रत्येक छात्रावास में भवन के साथ अधीक्षक आवास गृह, चौकीदार आवास गृह, बाउण्ड्रीवाल, प्ले ग्राउण्ड तथा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था आवश्यक होगी।

6. राज्य का HOPE Index की गणना कुल दर्ज संख्या (GE) कुल छात्रावास (NH) एवं कुल छात्रावास में निवासरत विद्यार्थियों (NHR) के मान से की जाएगी।

$$HOPE = (NH/GE) \times (NHR/GE)$$

राज्य के HOPE Index के बराबर सभी जिलों के HOPE Index पहुंचे, इसी को ध्यान में रखते हुए नवीन छात्रावास स्वीकृत किए जाऐंगे।

7. जिन जिलों में सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. के पढ़ने वाले बच्चों की संख्या पर्याप्त है, वहाँ पर इन विद्यार्थियों के लिए पृथक से छात्रावास खोलने पर विचार किया जायेगा। ऐसे छात्रावासों में इन शालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सुषमा शर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
आदिम जाति कल्याण विभाग